धारा 43 : [1][.....]

---

1 वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का क्रमांक 6) द्वारा धारा 43 विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 18/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा दिनांक 01.10.2022 से प्रभावशील किया गया।

विलोपन के पूर्व यह धारा इस प्रकार थी :

''धारा 43 : आउटपुट कर दायित्व में मिलान, उत्क्रमण और कमी करने का प्रतिदावा

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''पूर्तिकार'' कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए जावक पूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रत्यय टिप्पण के ब्यौरे का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निम्नलिखित के साथ सुमेल किया जाएगा–

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''प्राप्तिकर्ता'' कहा गया है) द्वारा उसी करावधि या किसी पश्चात्वर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय के लिए दावे में तत्समान कमी के साथ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की द्विरावृत्ति के लिए।

(2) पूर्तिकार द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावे, जो प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के लिए दावे में तत्समान कमी से मेल खाता है, को अंतिमतः स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी संसूचना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार को दी जाएगी।

(3) जहां जावक पूर्तियों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी, इनपुट कर प्रत्यय के लिए तत्समान कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी जमापत्र की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषिणा नहीं की जाती है वहां इस फर्क की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की द्विरावृत्ति की संसूचना पूर्तिकार को ऐसी रीति में दी जाएगा, जो विहित की जाए।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई फक संसूचित किया गया है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास, जिसमें फर्क संसूचित किया जाता है, के पश्चात्वर्ती मास की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कमी के संबंध में ऐसी रकम को, जो दावों की द्विरावृत्ति के मद्दे पाई जाती है, पूर्तिकार के आउटपुट कर दायित्व में उसकी उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसी द्विरावृत्ति संसूचित की जाती है।

(7) पूर्तिकार अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्राप्तिकर्ता अपने जमापत्र के ब्यौरों का अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित् कर देता है।

(8) कोई पूर्तिकार, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी करने के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्समान वृद्धि किए जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी करने की स्वीकृति दी जाती है वहां उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का पूर्तिकार को उसके इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते के तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम को जमा करके प्रतिदाय किया जाएगाः

परन्तु किसी भी दशा में जमा किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन से आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को पूर्तिकार की उस मास, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है, की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा और ऐसा पूर्तिकार इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।''